





भारतीय संसद  
राज्य सभा

सूचना—एक नजर में



© राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

वेबसाइट : <http://parliamentofindia.nic.in>

: <http://rajyasabha.nic.in>

ई-मेल : [rsrlib@sansad.nic.in](mailto:rsrlib@sansad.nic.in)

## आमुख

यह पुस्तिका राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्यों की सुविधा के लिए प्रकाशित की गई पुस्तिकाओं की शृंखला का एक भाग है। इसमें राज्य सभा के कार्यकरण, पीठासीन अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों, सदस्यों और समितियों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए मूल स्रोतों का संदर्भ लिया जा सकता है।

इस पुस्तिका का प्रयोजन तत्काल संदर्भ के लिए एक सुविधाजनक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना है। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तिका सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

नई दिल्ली  
जुलाई, 2018

देश दीपक वर्मा  
महासचिव



## विषय-सूची

	पृष्ठ
1. राज्य सभा सूचना-एक नज़र में.....	1-6
2. राज्य सभा की समितियां .....	7-8
3. राज्य सभा के सभापतियों के नाम दर्शाने वाला विवरण ....	9
4. राज्य सभा के उपसभापतियों के नाम दर्शाने वाला विवरण .....	10
5. राज्य सभा के सचिवों/महासचिवों के नाम दर्शाने वाला विवरण .....	11
6. राज्य सभा में सभा के नेताओं के नाम दर्शाने वाला विवरण.....	12-13
7. राज्य सभा में विपक्ष के नेताओं के नाम दर्शाने वाला विवरण .....	14-15
8. प्रश्नों के निपटान के संबंध में आंकड़ों की सूचना .....	16-17
9. अल्प-सूचना प्रश्नों और आधे घंटे की चर्चाओं का निपटान के संबंध में आंकड़ों की सूचना .....	18-19
10. राज्य सभा में विधेयकों के संबंध में विश्लेषणात्मक चार्ट.....	20-22
11. कार्य की विभिन्न मदों पर राज्य सभा द्वारा लिया गया समय.....	23-28
12. राज्य सभा की स्थायी समितियों की बैठकें .....	29-33
13. विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की बैठकें.....	34-35
14. राज्य सभा के सदस्यों का आयु वर्ग गठन .....	36

15. राज्य सभा के सदस्यों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि .....	37
16. राज्य सभा के सदस्यों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि.....	38-39
17. राज्य सभा के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित महिला सदस्य.....	40-41
18. राज्य सभा की बैठकों की संख्या.....	42-44
उपाबंध-I .....	45-46
उपाबंध-II .....	47-48

## राज्य सभा

### सूचना - एक नजर में

- सदस्यों की संख्या: 245 (233 निर्वाचित; 12 नाम-निर्देशित)
- राज्य सभा के 233 सदस्य एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के प्रतिनिधि उक्त राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
- 12 सदस्य, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं।
- सदस्य का कार्यकाल: राज्य सभा भंग नहीं होती है। तथापि, इसके दो-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष निवृत्त होते हैं। सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है।
- महत्वपूर्ण पदाधिकारी:
- (i) सभापति: श्री एम. वेंकैया नायडु  
भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
  - (ii) उपसभापति:—  
राज्य सभा के सदस्यों द्वारा इसके सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है।



- (iii) उप-सभाध्यक्षों का पैनल:  
सभापति समय-समय पर छह से अनधिक सदस्यों को नाम-निर्देशित करते हैं जो सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
- (iv) सभा के नेता: श्री अरुण जेटली  
यदि प्रधान मंत्री राज्य सभा के सदस्य हों तो सामान्यतः वह सभा के नेता होते हैं या फिर वह मंत्री जो राज्य सभा का सदस्य है और जिसे सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाए।
- (v) विपक्ष के नेता: श्री गुलाम नबी आज़ाद  
विपक्ष के नेता सरकार के विपक्ष में सबसे अधिक सदस्य संख्या वाले दल के नेता होते हैं तथा जिन्हें राज्य सभा के सभापति द्वारा विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है।
- (vi) महासचिव: श्री देश दीपक वर्मा  
महासचिव को राज्य सभा के सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

महिला सदस्यों की संख्या: 28 (16 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार)

मंत्रि-परिषद में राज्य सभा  
के सदस्यों की संख्या: 20

मंत्रि-परिषद में राज्य सभा  
की महिला सदस्यों की  
संख्या: 2

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या:	सदस्य-29; संघ राज्य क्षेत्र-7 (राज्य सभा में केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व है)
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन:	संविधान की चौथी अनुसूची में दिये गये अनुसार (उपाबंध-I)
राजनैतिक दलों/समूहों की कुल संख्या:	28
राज्य सभा में दलीय स्थिति: सदस्यता हेतु अर्हता:	उपाबंध-II में दिए गए विवरण के अनुसार क. भारत का नागरिक ख. 30 वर्ष की आयु ग. ऐसी अन्य अर्हताएं जोकि संसद की किसी विधि द्वारा विहित की जाएं।
सबसे कम आयु का सदस्य:	श्रीमती एम.सी. मेरी कॉम (1 मार्च 1983)
सबसे अधिक आयु का सदस्य:	श्री राम जेठमलानी (14 सितम्बर 1923)
सबसे लंबी अवधि तक सेवारत सदस्य:	श्री राम जेठमलानी उनत्तीस वर्ष (अप्रैल 1988-अप्रैल 1994; अप्रैल 1994-अप्रैल 2000; अप्रैल 2000-अप्रैल 2006; अप्रैल 2006-अप्रैल 2009; जुलाई 2010-जुलाई 2016; और जुलाई 2016-अद्यपर्यंत)
सत्रों/बैठकों के दिनों की संख्या:	(i) एक वर्ष में तीन सत्र— • बजट सत्र: जनवरी-अप्रैल • मानसून सत्र: जुलाई-अगस्त • शीतकालीन सत्र: नवंबर-दिसंबर  (ii) सभा की बैठक वर्ष में औसतन 70-80 दिन तक होती है।

गणपूर्ति:

सभा की कुल सदस्यों की संख्या का दसवां भाग अर्थात् 25 सदस्य।

- राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ: (i) संसद को राज्य सूची में परिगणित किसी विषय के संबंध में इस आशय का संकल्प स्वीकार करके राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करना (अनुच्छेद 249)
- (ii) अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना (अनुच्छेद 312)
- (iii) यदि लोक सभा भंग कर दी गई हो अथवा उद्घोषणा के अनुमोदन हेतु अनुमत्य अवधि के भीतर लोक सभा भंग होने की स्थिति में राज्य सभा (अनुच्छेद 352 अथवा अनुच्छेद 356 अथवा अनुच्छेद 360) उद्घोषणाओं को अनुमोदित करती है।

सभाओं के बीच विधायी संबंध:

राज्य सभा की सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। विधायी मामलों में धन विधेयकों के सिवाय राज्य सभा की शक्तियाँ लोक सभा के समान हैं।

विधेयकों (धन विधेयकों तथा संविधान संशोधन विधेयकों के सिवाय) के मामले में दोनों सभाओं में कोई असहमति तब उत्पन्न होती है जब-

- (i) एक सभा द्वारा पारित विधेयक को दूसरी सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए; अथवा

- (ii) सभाएं विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर अंततः असहमत हों; अथवा
- (iii) अन्य सभा द्वारा विधेयक को पारित किये बिना उसके प्राप्त होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि बीत जाए।

राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श और मतदान करने के प्रयोजन से सभाओं की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। धन विधेयकों के मामले में गतिरोध का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ऐसे मामलों में राज्य सभा का अधिकार बहुत सीमित है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सभाओं की शक्तियां समान हैं। संविधान संशोधन विधेयक को संसद की प्रत्येक सभा द्वारा अलग-अलग सभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उस सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सभाओं के बीच गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

सदस्य का वेतन और भत्ते:

वेतन-1,00,000/- रु. प्रतिमाह, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता-70,000/- रु. प्रतिमाह, कार्यालय व्यय भत्ता-60,000/- रु. प्रतिमाह, दैनिक भत्ता-सत्र और समिति की बैठकों के दौरान प्रतिदिन 2000/- रु.।

सदस्य अन्य सुविधाएं जैसे मुफ्त रेल और हवाई यात्राएं, टेलीफोन, आवास, जल, विद्युत, चिकित्सा उपचार आदि का भी पात्र होता है।

## राज्य सभा की समितियां

### I. स्थायी समितियां

1. कार्य-मंत्रणा समिति
2. सामान्य प्रयोजन समिति
3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
4. आवास समिति
5. याचिका समिति
6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
7. सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति
8. विशेषाधिकार समिति
9. नियम समिति
10. आचार समिति
11. राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर उपस्करों का प्रावधान करने संबंधी समिति
12. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (एमपीलैड्स)

### II. राज्य सभा के सभापति के निर्देश तथा नियंत्रणाधीन कार्य करने वाली विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां

1. वाणिज्य संबंधी समिति
2. गृह कार्य संबंधी समिति
3. मानव संसाधन विकास संबंधी समिति
4. उद्योग संबंधी समिति

5. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति
6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति
8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति

सभापति—राज्य सभा  
(1952 से)

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13.05.1952 से 12.05.1957 और 13.05.1957 से 12.05.1962
2.	डा. जाकिर हुसैन	13.05.1962 से 12.05.1967
3.	श्री वराहगिरी वेंकट गिरी	13.05.1967 से 03.05.1969
4.	श्री गोपाल स्वरूप पाठक	31.08.1969 से 30.08.1974
5.	श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती	31.08.1974 से 30.08.1979
6.	श्री एम. हिदायतुल्ला	31.08.1979 से 30.08.1984
7.	श्री आर. वेंकटरमण	31.08.1974 से 24.07.1987
8.	डा. शंकर दयाल शर्मा	03.09.1987 से 24.07.1992
9.	श्री के.आर. नारायणन	21.08.1992 से 24.07.1997
10.	श्री कृष्ण कांत	21.08.1997 से 27.07.2002*
11.	श्री भैरों सिंह शेखावत	19.08.2002 से 21.07.2007#
12.	श्री मोहम्मद हामिद अंसारी	11.08.2007 से 10.08.2012 और 11.08.2017 से 10.08.2017
13.	श्री एम. वेंकैया नायडु	11.08.2017 – अद्यपर्यंत

\*कार्यकाल के दौरान दिवंगत।

#त्यागपत्र दिया।



उपसभापति—राज्य सभा  
(1952 से)

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री एस. वी. कृष्णामूर्ति राव	31.05.1952 से 02.04.1956 और 25.04.1956 से 01.03.1962*
2.	श्रीमती वायलेट अल्वा	19.04.1962 से 02.04.1966 और 07.04.1966 से 16.11.1969#
3.	श्री भाऊराव देवाजी खोबरागड़े	17.12.1969 से 02.04.1972
4.	श्री गोडे मुराहरि	13.04.1972 से 02.04.1974 और 26.04.1974 से 20.03.1977*
5.	श्री राम निवास मिर्धा	30.03.1977 से 02.04.1980
6.	श्री श्याम लाल यादव	30.07.1980 से 02.04.1982 और 28.04.1982 से 29.12.1984*
7.	श्री एम. एम. जैकब	26.02.1986 से 22.10.1986#
8.	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील	18.11.1986 से 05.11.1988#
9.	डा. नजमा ए. हेपतुल्ला	25.01.1985 से 20.01.1986# 18.11.1988 से 04.07.1992 10.07.1992 से 04.07.1998 और 09.07.1998 से 10.06.2004
10.	श्री के. रहमान खान	22.07.2004 से 02.04.2006 और 12.05.2006 से 02.04.2012
11.	प्रो. पी. जे. कुरियन	21.08.2012 से 01.07.2018

\*लोक सभा के लिए निर्वाचित।

#त्यागपत्र दिया।

सचिव/महासचिव—राज्य सभा  
(1952 से)

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री बी. एन. कौल सचिव	अप्रैल-मई, 1952
2.	श्री एस. एन. मुकर्जी सचिव	13.05.1952 से 08.10.1963
3.	श्री बी. एन. बैनर्जी सचिव/महासचिव	09.10.1963 से 31.03.1976
4.	श्री एस. एस. भालेराव महासचिव	01.04.1976 से 30.04.1981
5.	श्री सुदर्शन अग्रवाल महासचिव	01.05.1981 से 30.06.1993
6.	श्रीमती वी. एस. रमादेवी महासचिव	01.07.1993 से 25.07.1997
7.	श्री एस. एस. सोहोनी (महासचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य किया)	25.07.1997 से 02.10.1997
8.	श्री आर. सी. त्रिपाठी महासचिव	03.10.1997 से 31.08.2002
9.	डा. योगेन्द्र नारायण महासचिव	01.09.2002 से 14.09.2007
10.	डा. विवेक कुमार अग्निहोत्री महासचिव	29.10.2007 से 30.09.2012
11.	श्री शमशेर के. शरीफ महासचिव	01.10.2012 से 31.08.2017
12.	श्री देश दीपक वर्मा महासचिव	01.09.2017 - अद्यपर्यंत

सभा के नेता—राज्य सभा  
(1952 से)

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगर	मई, 1952 से फरवरी, 1953
2.	श्री चारू चंद्र बिस्वास	फरवरी, 1953 से नवम्बर, 1954
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री	नवम्बर, 1954 से मार्च, 1955
4.	श्री गोविन्द वल्लभ पंत	मार्च, 1955 से फरवरी, 1961
5.	हफीज़ मोहम्मद इब्राहिम	फरवरी, 1961 से अगस्त, 1963
6.	श्री वाई. बी. चव्हाण	अगस्त से दिसम्बर, 1963
7.	श्री जयसुखलाल हाथी	फरवरी से मार्च, 1964
8.	श्री माहोमदाली कुर्रिम छगला	मार्च, 1964 से नवम्बर, 1967
9.	श्री जयसुखलाल हाथी	नवम्बर, 1967 से नवम्बर, 1969
10.	श्री कोदरा दास कालीदास शाह	नवम्बर, 1969 से मई, 1971
11.	श्री उमा शंकर दीक्षित	मई, 1971 से दिसंबर, 1975
12.	श्री कमलापति त्रिपाठी	दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1977
13.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	मार्च, 1977 से अगस्त, 1979
14.	श्री के. सी. पंत	अगस्त, 1979 से जनवरी, 1980
15.	श्री प्रणब मुखर्जी	जनवरी, 1980 से जुलाई, 1981 और अगस्त, 1981 से दिसम्बर, 1984
16.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	दिसम्बर, 1984 से अप्रैल, 1987

क्र.सं.	नाम	अवधि
17.	श्री एन. डी. तिवारी	अप्रैल, 1987 से जून, 1988
18.	श्री पी. शिव शंकर	जुलाई, 1988 से दिसम्बर, 1989
19.	श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी	दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990
20.	श्री यशवंत सिन्हा	दिसम्बर, 1990 से जून, 1991
21.	श्री एस. बी. चव्हाण	जुलाई, 1991 से अप्रैल, 1996
22.	श्री सिकन्दर बख्त	20 मई, 1996 से 31 मई, 1996
23.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल	जून, 1996 से नवम्बर, 1996
24.	श्री एच. डी. देवेगौड़ा	नवम्बर, 1996 से अप्रैल, 1997
25.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल	अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998
26.	श्री सिकन्दर बख्त	मार्च, 1998 से अक्टूबर, 1999
27.	श्री जसवंत सिंह	अक्टूबर, 1999 से मई, 2004
28.	डा. मनमोहन सिंह	जून, 2004 से मई, 2009 और मई, 2009 से मई, 2014
29.	श्री अरुण जेटली	जून, 2014 – अद्यपर्यंत

## विपक्ष के नेता—राज्य सभा

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल
1.	श्री श्यामनंदन मिश्र	*दिसम्बर, 1969 से मार्च, 1971
2.	श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी	मार्च, 1971 से अप्रैल, 1972
3.	श्री कमलापति त्रिपाठी	*30 मार्च, 1977 से 15 फरवरी, 1978
4.	श्री भोला पासवान शास्त्री	24 फरवरी, 1978 से 23 मार्च, 1978
5.	श्री कमलापति त्रिपाठी	23 मार्च, 1978 से 2 अप्रैल, 1978 और 18 अप्रैल 1978 से 8 जनवरी, 1980
6.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	21 जनवरी, 1980 से 7 अप्रैल, 1980
7.	श्री पी. शिव शंकर	**18 दिसम्बर, 1989 से 2 जनवरी, 1991
8.	श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी	28 जून, 1991 से 21 जुलाई, 1991
9.	श्री एस. जयपाल रेड्डी	22 जुलाई, 1991 से 29 जून, 1992
10.	श्री सिकन्दर बख्त	7 जुलाई, 1992 से 9 अप्रैल, 1996 और 10 अप्रैल, 1996 से 16 मई, 1996
11.	श्री एस. बी. चव्हाण	23 मई, 1996 से 1 जून, 1996
12.	श्री सिकन्दर बख्त	1 जून, 1996 से 19 मार्च, 1998
13.	डा. मनमोहन सिंह	21 मार्च, 1998 से 14 जून, 2001 और 15 जून, 2001 से 22 मई, 2004
14.	श्री जसवंत सिंह	3 जून, 2004 से 4 जुलाई, 2004 और 5 जुलाई, 2004 से 16 मई, 2009

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल
15.	श्री अरुण जेटली	3 जून, 2009 से 2 अप्रैल, 2012 और 3 अप्रैल, 2012 से 26 मई, 2014
16.	श्री गुलाम नबी आजाद	8 जून, 2014 से 10.02.2015 और 16.02.2015 – अद्यपर्यंत

\* 1952 से 1969 और 1972 से 1977 की अवधि के दौरान राज्य सभा में किसी भी विपक्षी दल के पास मान्यता प्राप्त करने हेतु सभा की कुल सदस्यता के दसवें हिस्से की अपेक्षित सदस्य संख्या नहीं थी और इसलिए उस अवधि के दौरान राज्य सभा में कोई भी मान्यता प्राप्त नेता विपक्ष नहीं थे।

\*\* जैसाकि संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 की धारा 2 के अंतर्गत अपेक्षित है, 1980 से 1989 तक की अवधि के दौरान सरकार के किसी भी विपक्षी दल के नेता को राज्य सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं मिली।

**प्रश्नों के निपटान के संबंध में आंकड़ों की सूचना  
(1952-2018)**

वर्ष	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की प्राप्त सूचनाओं की कुल संख्या	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की गृहित सूचनाओं की कुल संख्या	तारांकित प्रश्नों के रूप में गृहित सूचनाओं की कुल संख्या	मौखिक रूप से उत्तरित प्रश्नों की कुल संख्या
1952 से 1957	28829	16407	9295	7683
1958 से 1963	43315	23819	14366	8668
1964 से 1969	72422	38049	15473	5334
1970 से 1975	111570	42235	13560	2217
1976 से 1981	104535	67672	9787	1988
1982 से 1987	127007	89337	10656	2062
1988 से 1992 (अक्टूबर, 92)	119345	84489	9451	1363
दिसंबर, 1992 से दिसंबर, 1997	147064	73625	7472	1147
1998 और 1999	32349	14844	1759	319
2000 और 2001	60732	30092	3403	427
2002	26784	14643	1880	248
2003	28927	15704	1965	531

वर्ष	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की प्राप्त सूचनाओं की कुल संख्या	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की गृहित सूचनाओं की कुल संख्या	तारांकित प्रश्नों के रूप में गृहित सूचनाओं की कुल संख्या	मौखिक रूप से उत्तरित प्रश्नों की कुल संख्या
जुलाई, 2004 से	36312	15706	1958	465
दिसंबर, 2005	8835	3955	458	108
2006	24373	11721	1399	253
2007	25274	11086	1339	139
2008	17669	7682	900	138
2009	20129	9631	1119	229
2010	32124	13528	1556	176
2011	30109	10674	1219	166
2012	31827	12774	1459	157
2013	26883	9623	1099	77
2014	19173	10103	1140	129
2015	31341	11491	989	174
2016	28012	12308	1065	224
2017	26511	10838	930	236
2018*	10729	5066	434	5

\*245वें सत्र तक।



अल्प-सूचना प्रश्नों और आधे घंटे की चर्चाओं के  
निपटान के संबंध में आंकड़ों की सूचना  
(1952-2018)

वर्ष	प्राप्त अल्प सूचना प्रश्नों की कुल संख्या	उत्तरित अल्प सूचना प्रश्नों की कुल संख्या	आधे घंटे की चर्चा हेतु सूचनाओं की कुल संख्या	आधे घंटे की चर्चाओं की कुल संख्या
1952 से 1957	336	88	48	8
1958 से 1963	612	91	117	17
1964 से 1969	1168	141	261	47
1970 से 1975	830	31	340	40
1976 से 1981	568	53	389	57
1982 से 1988	157	5	335	57
1988 से 1992 (अक्तूबर, 1992)	124	12	168	40
दिसम्बर, 1992 से दिसम्बर, 1997	114	5	223	22
1998 और 1999	13	1	62	9
2000 और 2001	21	3	68	शून्य
2002	—	शून्य	40	शून्य
2003	—	शून्य	29	1

वर्ष	प्राप्त अल्प सूचना प्रश्नों की कुल संख्या	उत्तरित अल्प सूचना प्रश्नों की कुल संख्या	आधे घंटे की चर्चा हेतु प्राप्त सूचनाओं की कुल संख्या	आधे घंटे की हुई चर्चाओं की कुल संख्या
जुलाई, 2004	10	शून्य	36	5
दिस., 2005	1	शून्य	14	शून्य
2006	29	1	35	8
2007	18	शून्य	31	2
2008	10	1	16	शून्य
2009	62	शून्य	33	1
2010	50	5	37	3
2011	51	6	37	1
2012	144	25	40	2
2013	153	9	28	शून्य
2014	64	6	8	शून्य
2015	38	1	21	शून्य
2016	10	शून्य	11	1
2017	2	शून्य	7	शून्य
2018*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

\*245वें सत्र तक।

राज्य सभा में विधेयकों के संबंध में विश्लेषणात्मक चार्ट  
भाग-क (सरकारी विधेयक)  
(1952-2018\*)

क्रम सं.	1952-61	1962-71	1972-81	1982-91	1992-2001	2002-2011	2012-2018*
1. उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान विधेयक पुरःस्थापित किये गये/उन पर विचार किया गया	620	663	573	468	409	410	247
2. पुरःस्थापित किये गये विधेयकों की संख्या	114	125	149	146	173	166	52
3. विचार जानने के लिए परिचालित किये गये विधेयकों की संख्या	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. प्रवर/संयुक्त समितियों को भेजे गये विधेयकों की संख्या	55	54	33	13	9	3	17
5. स्थायी समितियों को भेजे गये विधेयकों की संख्या			- लागू नहीं -		95	183	67
6. विचार किये गये और पारित किये गये/ लौटाए गए विधेयकों की संख्या	628	624	681	664	515	509	220

क्रम सं.	1952-61	1962-71	1972-81	1982-91	1992-2001	2002-2011	2012-2018*
7. वापिस लिये गये विधेयकों की संख्या	4	4	7	5	17	31	23
8. अस्वीकृत किये गये विधेयकों की संख्या	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य

\*245वें सत्र की समाप्ति (6.4.2018) तक

## भाग-ख (गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक) (1952-2018\*)

क्रम सं.	1952-61	1962-71	1972-81	1982-91	1992-2001	2002-2011	2012-2018*
1. उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान विधेयक पुरःस्थापित किए गये/उन पर विचार किया गया	43	65	62	76	67	49	34
2. पुरःस्थापित किये गये विधेयकों की संख्या	65	149	174	287	482	594	303
3. विचार जानने के लिए परिचालित किये गये विधेयकों की संख्या	3	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. प्रवर/संयुक्त समितियों को भेजे गये विधेयकों की संख्या	1	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5. विचार किये गये विधेयकों की संख्या	60	85	86	76	57	36	31
6. वापिस लिये गये विधेयकों की संख्या	24	25	44	38	34	23	23
7. अस्वीकृत किये गये विधेयकों की संख्या	16	10	12	13	2	6	5
8. पारित किये गये विधेयकों की संख्या	9	6	1	शून्य	शून्य	शून्य	1

\*245वें सत्र की समाप्ति (6.4.2018) तक

## कार्य की विभिन्न मतों पर राज्य सभा द्वारा लिया गया समय

कार्य की मते	लिया गया समय (घंटों और मिनटों में)							
	1991 घंटे-मिनट	1992 घंटे-मिनट	1993 घंटे-मिनट	1994 घंटे-मिनट	1995 घंटे-मिनट	1996 घंटे-मिनट	1997 घंटे-मिनट	1998 घंटे-मिनट
<b>विधेयक</b>								
(क) सरकारी विधेयक	69-31	92-09	104-44	64-59	56-34	37-39	40-05	55-45
(ख) गैर-सरकारी विधेयक	19-50	16-21	17-09	14-59	17-14	13-33	7-37	12-25
<b>बजट</b>	21-53	32-09	17-40	14-26	20-20	25-53	21-39	26-40
<b>ध्यानाकर्षण</b>	21-57	17-06	32-36	15-56	27-52	22-43	15-56	19-47
<b>प्रश्न</b>								
(अल्प सूचना प्रश्न सहित)	54-57	64-09	67-41	65-17	52-47	48-54	42-38	45-34
<b>चर्चाएं</b>								
(क) अल्पकालीन चर्चा	22-21	41-48	24-36	19-08	25-46	19-16	16-24	30-04
(ख) आधे घंटे की चर्चा	3-33	13-01	6-59	2-00	3-09	2-54	3-26	7-41
(ग) मंत्रालयों का कार्यकरण	15-47	10-13	9-25	24-36	-	8-17	14-31	19-17
<b>प्रस्ताव</b>								
(क) सरकारी प्रस्ताव	-	-	11-52	7-01	6-30	-	-	14-26
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव	-	0-54	-	-	7-05	-	-	-

## कार्य की विभिन्न मंदां पर राज्य सभा द्वारा लिया गया समय (क्रमागत)

कार्य की मंदां	लिया गया समय (घंटों और मिनटों में)									
	1991 घंटे-मिनट	1992 घंटे-मिनट	1993 घंटे-मिनट	1994 घंटे-मिनट	1995 घंटे-मिनट	1996 घंटे-मिनट	1997 घंटे-मिनट	1998 घंटे-मिनट		
<b>संकल्प</b>										
(क) परिनियत संकल्प	11-31	13-36	7-20	16-30	4-44	10-41	-	0-04		
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	12-48	14-46	14-42	13-01	9-16	7-58	10-13	8-05		
<b>जिन पर चर्चा की गई</b>										
(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	21-51	15-49	16-43	14-20	11-15	8-19	16-58	17-56		
(ख) मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	57-56	58-19	40-30	24-00	15-06	32-28	14-16	34-22		
<b>विविध *</b>	54-35	61-34	43-47	29-37	17-37	16-43	14-12	45-35		
<b>योग:</b>	388-30	451-24	415-44	326-00	275-15	255-18	217-55	287-41		

\*इसमें विशेष उल्लेख और सभा पटल पर रखे गए पत्र शामिल हैं।

## कार्य की विभिन्न मंदां पर राज्य सभा द्वारा लिया गया समय

कार्य की मंदां	लिया गया समय (घंटों और मिनटों में)							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट
<b>विधेयक</b>								
(क) सरकारी विधेयक	44-06	83-03	55-15	103-44	75-49	22-32	87-05	98-25
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	7-34	13-23	11-42	9-16	12-27	6-02	12-46	17-14
<b>बजट</b>	0-29	02-02	0-02	6-44	33-13	21-23	17-54	18-53
<b>ध्यानाकर्षण</b>	7-31	33-40	28-10	30-06	16-16	10-58	5-16	4-37
<b>प्रश्न</b>								
(अल्प सूचना प्रश्न सहित)	29-41	64-06	55-22	55-33	61-56	28-14	58-11	47-18
<b>चर्चाएं</b>								
(क) अल्प कालिक चर्चा	30-16	39-45	53-42	57-21	40-25	24-54	56-42	77-22
(ख) आधे घंटे की चर्चा	3-18	-	-	0-01	0-40	1-06	5-36	5-14
(ग) मंत्रालयों का कार्यकरण	-	16-00	-	12-30	21-44	-	23-01	21-32
<b>प्रस्ताव</b>								
(क) सरकारी प्रस्ताव	-	16-16	-	0-15	14-54	0-31	0-20	-
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव	-	-	-	-	-	0-03	8-50	-



## कार्य की विभिन्न मंदां पर राज्य सभा द्वारा लिया गया समय (क्रमागत)

कार्य की मंदां	लिया गया समय (घंटों और मिनटों में)							
	1999 घंटे-मिनट	2000 घंटे-मिनट	2001 घंटे-मिनट	2002 घंटे-मिनट	2003 घंटे-मिनट	2004 घंटे-मिनट	2005 घंटे-मिनट	2006 घंटे-मिनट
<b>संकल्प</b>								
(क) परिनियत संकल्प	1-31	0-32	7-10	0-02	1-24	0-16	11-19	0-23
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	3-57	9-40	9-49	9-54	10-04	4-53	16-01	11-42
<b>जिन पर चर्चा की गई</b>								
(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	30-44	12-29	18-23	10-02	13-34	0-08	9-36	13-42
(ख) मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	10-27	23-27	30-11	6-51	6-10	5-38	7-53	7-55
<b>विविध*</b>	12-20	26-53	12-57	22-13	52-51	31-05	59-05	13-10
<b>योग:</b>	181-44	343-16	282-43	325-32	361-32	157-43	401-29	337-27

\*इसमें विशेष उल्लेख और सभा पटल पर रखे गए पत्र शामिल हैं।

## कार्य की विभिन्न मंदां पर राज्य सभा द्वारा लिया गया समय

कार्य की मंदां	लिया गया समय (घंटां और मिनटां में)											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट
<b>विधेयक</b>												
(क) सरकारी विधेयक	60-02	55-13	55-59	79-02	69-12	56-54	58-33	47-42	43-12	55-50	56-29	0-05
(ख) गैर-सरकारी सदस्यां के विधेयक	11-05	0-29	9-58	1-54	6-44	10-03	02-37	12-14	08-56	06-27	15-46	2-15
<b>बजट</b>	13-20	27-23	42-22	17-31	19-39	22-57	10-43	28-50	21-46	14-27	13-17	10-41
<b>ध्यानाकर्षण प्रश्न</b>	-	-	20-50	14-32	3-12	04-23	04-39	04-55	06-38	12-14	04-09	-
(अल्प सूचना प्रश्न सहित)	30-00	28-51	43-00	28-57	26-56	29-08	13-39	17-04	26-09	34-48	35-13	00-51
<b>चर्चाएं</b>												
(क) अल्प कालीन चर्चा	26-02	15-33	30-21	17-37	29-28	12-45	19-11	21-11	12-22	43-32	33-00	-
(ख) आधे घंटे की चर्चा	1-29	-	0-35	1-49	0-29	2-05	-	-	-	00-37	-	-
(ग) मंत्रालयां का कार्यकरण	5-54	19-52	32-35	21-57	5-09	14-39	-	22-13	7-38	10-53	05-44	-
<b>प्रस्ताव</b>												
(क) सरकारी प्रस्ताव	-	-	0-17	7-45	-	4-11	0-24	-	-	-	-	-
(ख) गैर-सरकारी सदस्यां के प्रस्ताव	-	-	-	-	-	09-17	-	-	00-01	0-04	-	-

## कार्य की विभिन्न मंदां पर राज्य सभा द्वारा लिया गया समय (क्रमानुगत)

कार्य की मंदां	लिया गया समय (घंटों और मिनटों में)											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट	घंटे-मिनट
<b>संकल्प</b>												
(क) सांविधिक संकल्प	0-02	0-25	0-44	0-01	-	00-05	01-47	00-18	00-27	00-45	00-26	00-05
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	4-55	7-39	10-03	7-28	4-59	09-39	06-56	07-31	02-34	3-52	04-57	00-02
<b>चर्चा</b>												
(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	13-58	16-29	25-43	11-50	12-55	13-21	10-56	13-24	17-17	13-15	14-06	14-25
(ख) मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	8-53	10-43	12-19	9-10	14-07	04-11	18-07	10-38	07-11	2-22	02-39	0-18
<b>विविधा*</b>	7-51	29-08	36-41	32-39	43-21	54-48	46-07	64-31	96-07	92-30	72-34	16-35
<b>योग:</b>	181-31	211-45	321-27	252-12	236-11	248-26	193-39	250-31	250-18	291-36	258-20	45-17

एस.एन.ब्यू.: अल्प सूचना प्रश्न

\*इसमें विशेष उल्लेख और सभा पटल पर रखे गए पत्र इत्यादि शामिल हैं।

#245वें सत्र की समाप्ति (06.04.2018) तक

## राज्य सभा की स्थायी समितियों की बैठकें

वर्ष	*अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	**याचिका समिति	!सरकारी आशवासनों संबंधी समिति	!!सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	@आवास समिति	#आचार समिति	@संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	@@राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर उपकरणों की व्यवस्था करने संबंधी समिति	सामान्य प्रयोजन समिति	विशेषाधिकार समिति	नियम समिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1952	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
1953	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
1954	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
1955	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
1956	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
1957	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
1958	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—
1959	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—
1960	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1961	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
1962	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
1963	—	—	1	—	—	8	—	—	—	—	6	—
1964	1	1	0	—	—	5	—	—	—	—	—	—
1965	1	1	0	—	—	2	—	—	—	—	—	—
1966	1	1	8	—	—	3	—	—	—	—	5	—
1967	5	5	4	—	—	6	—	—	—	—	5	—
1968	5	5	19	—	—	9	—	—	—	—	—	—
1969	10	10	12	—	—	2	—	—	—	—	—	—
1970	6	6	16	—	—	—	—	—	—	—	3	—
1971	14	14	43	—	—	—	—	—	—	1	4	3
1972	10	10	23	5	—	—	—	—	—	1	—	2
1973	8	8	16	18	—	—	—	—	—	1	—	—
1974	10	10	23	18	—	—	—	—	—	1	5	—
1975	17	17	29	21	—	—	—	—	—	1	4	—
1976	14	14	20	19	—	—	—	—	—	2	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1977		12	30	19	-	-	-	-	-	4	-	-
1978		23	40	22	-	-	-	-	-	1	-	2
1979		54	35	27	-	-	-	-	-	0	5	2
1980		37	35	31	-	-	-	-	-	0	9	1
1981		56	46	47	-	13	-	-	-	2	8	8
1982		35	25	39	20	-	-	-	-	1	6	1
1983		38	30	33	35	-	-	-	-	0	1	1
1984		25	25	32	26	20	-	-	-	1	6	3
1985		23	20	20	20	21	-	-	-	6	-	1
1986		28	23	24	16	21	-	-	-	1	-	1
1987		20	41	28	6	21	-	-	-	0	1	-
1988		21	43	11	10	13	-	-	-	2	1	-
1989		13	52	45	11	11	-	-	-	2	8	-
1990		11	30	23	9	11	-	-	-	0	1	-
1991		15	24	44	26	8	-	-	-	2	6	-
1992		21	14	10	25	10	-	-	-	2	9	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1993	15	33	10	14	6	—	—	—	—	1	11	3
1994	14	21	12	23	5	—	—	—	—	2	2	1
1995	12	55	12	12	5	—	—	—	—	2	1	2
1996	—	13	12	4	8	—	—	—	—	0	1	—
1997	5	14	14	7	8	8	14	—	8	2	1	—
1998	16	14	11	19	6	6	13	2	11	1	—	—
1999	13	8	15	8	7	7	10	4	2	1	1	—
2000	11	10	10	5	6	6	4	6	2	0	4	2
2001	13	9	9	4	6	6	6	7	8	2	1	1
2002	10	4	7	5	6	6	3	8	3	0	—	—
2003	11	11	5	8	9	9	4	4	2	2	—	2
2004	8	17	7	8	3	3	3	7	6	1	1	2
2005	14	10	12	12	4	4	9	8	4	0	4	—
2006	14	12	7	7	9	9	6	4	5	1	10	2
2007	12	16	8	7	6	6	2	3	4	0	11	—
2008	10	18	6	12	4	4	1	5	5	5	3	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	14	13	7	8	4	6	3	3	3	1	4	2
2010	9	13	10	11	5	3	4	4	2	1	5	2
2011	18	19	10	19	7	3	3	6	4	0	5	—
2012	9	17	14	11	6	2	4	4	—	0	4	1
2013	12	20	18	5	5	3	2	2	2	0	2	—
2014	8	10	15	4	6	2	2	2	1	1	1	1
2015	16	12	8	8	5	1	2	2	2	—	6	—
2016	12	13	7	9	4	5	3	3	—	1	4	—
2017	12	16	8	8	5	2	2	2	1	—	2	—
2018 <sup>€</sup>	2	2	2	3	—	1	1	1	1	—	—	—

\*सितम्बर, 1964 में गठित

\*\*मई, 1952 में गठित

‡जुलाई, 1972 में गठित

!मार्च, 1982 में गठित

‡मार्च, 1952 में गठित

‡(राज्य सभा के 245वें सत्र तक)

#4 मार्च, 1997 को गठित

‡सितम्बर, 1998 में गठित

‡‡‡ मार्च, 1997 में गठित



## विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की बैठकें\*

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018#
1. गृह कार्य संबंधी समिति	22	37	30	26	28	19	17	40	51	42	40	11	26	30	26	31	17	24	27	34	29	12	18	20	17	7
2. बाणिज्य संबंधी समिति	40	25	40	30	15	34	12	10	17	23	24	8	17	9	24	20	11	29	21	22	31	9	24	15	17	5
3. उद्योग संबंधी समिति	42	35	15	22	3	8	6	34	36	38	36	23	47	30	38	18	6	10	13	24	26	13	20	12	14	3
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी समिति	38	31	26	46	8	30	9	35	26	19	14	9	19	22	21	31	15	34	15	19	17	12	22	27	18	9
5. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	19	24	19	17	14	21	12	21	15	22	22	17	33	17	22	22	10	16	9	18	20	10	23	19	23	5
6. मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	21	44	38	12	15	14	10	17	17	22	23	15	29	21	12	15	9	34	30	27	23	17	20	20	14	7

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018#
7. **कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	40	18	30	28	11	16	29	18	27	28	30	25	22	6
8. **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16	15	14	20	7	16	15	27	27	8	21	12	13	10

\*1993 में गठित।

#राज्य संभा के 245वें सत्र तक अद्यतित।

\*\*समिति 5 अगस्त, 2004 को अस्तित्व में आई।

**राज्य सभा के सदस्यों का आयु वर्ग गठन (1952-2018)**  
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक वर्ग में शामिल महिला सदस्यों की संख्या दर्शाते हैं)

क्र. सं.	वर्ष	प्रत्येक श्रेणी में सदस्यों की संख्या														
		1952	1962	1972	1982	1992	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2018*
1.	30-40	40(5)	32(4)	20(1)	22(1)	20(4)	11(2)	9(2)	8(2)	11(3)	6(1)	8(1)	8(3)	8(3)	8(4)	4(2)
2.	41-50	65(5)	60(5)	87(8)	62(8)	54(6)	54(5)	52(4)	36(5)	27(3)	37(6)	32(7)	31(4)	27(3)	23(3)	28(7)
3.	51-60	62(4)	68(5)	77(6)	93(6)	78(6)	71(10)	77(11)	85(11)	81(10)	81(10)	84(8)	73(12)	71(12)	65(10)	55(9)
4.	61-70	33	53(2)	43(3)	48(8)	54	64(7)	66(7)	72(4)	72(5)	69(6)	72(8)	68(4)	91(7)	90(5)	88(5)
5.	71-80	7(1)	16(2)	11	9(1)	23(1)	37(1)	33(4)	33(3)	48(3)	41(1)	36(2)	30(5)	34(5)	40(3)	33(2)
6.	81-90	1	1	3	-	3	8	7(-)	4(-)	5(-)	8(1)	11(-)	12(1)	9(1)	8	7
7.	91-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(-)	-	1(-)	1	1
8.	विक्रम उपलब्ध नहीं	8	6	2	2	1	-	-	-	1(-)	-	-	9(-)	1(-)	9(2)	25(2)
9.	रिक्त स्थानों की संख्या	-	-	-	8	12	-	1	4	-	3	1	14	3	1	4
योग:		216(15)	236(18)	243(18)	244(24)	245(17)	245(25)	245(28)	245(25)	245(24)	245(25)	245(26)	245(29)	245(31)	245(27)	245(27)

\* (जून 2018 के अनुसार)

**राज्य सभा के सदस्यों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि (1952-2018)**  
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक वर्ग में शामिल महिला सदस्यों की संख्या दर्शाते हैं)

क्र. सं.	वर्ष	प्रत्येक श्रेणी में सदस्यों की संख्या														
		1952	1962	1972	1982	1992	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2018*
1.	मैट्रिक पूर्व	6(1)	8(1)	5	2	5(1)	2(1)	5(1)	3(-)	5(-)	3(1)	2(-)	1(-)	2(-)	2(-)	2(-)
2.	मैट्रिक/हायर सैकेंडरी या इन्टर (प्रमाण-पत्र धारी)	17(1)	19	35(2)	38(5)	29(2)	31(2)	30(4)	28(2)	32(5)	27(3)	29(5)	23(5)	27(4)	22(3)	21(5)
3.	स्नातक	109(4)	122(8)	130(8)	120(12)	102(6)	127(7)	117(11)	115(10)	100(7)	114(9)	108(9)	102(10)	111(12)	116(9)	99(9)
4.	स्नातकोत्तर (तकनीकी योग्यता सहित)	45(5)	47(5)	44(3)	70(5)	77(7)	53(9)	62(7)	64(10)	67(9)	67(9)	72(8)	72(11)	72(11)	71(11)	66(9)
5.	डाक्टरेल डिग्री या अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी	19(1)	12(2)	16(1)	11(2)	18(1)	31(6)	29(5)	30(3)	37(3)	27(3)	25(3)	20(2)	25(3)	21(1)	23(2)
6.	विकरण उपलब्ध नहीं	20(3)	18(2)	13(4)	13	2	1	1(-)	1(-)	4(-)	4	8(1)	13(1)	5(1)	12(3)	30(2)
7.	रिक्त स्थानों की संख्या	-	-	-	8	12	-	1	4	-	3	1	14	3	1	4
योग:		216(15)	236(18)	243(18)	244(24)	245(17)	245(25)	245(28)	245(25)	245(24)	245(25)	245(26)	245(29)	245(31)	245(27)	245(27)

\*जून 2018 के अनुसार



क्र. सं.	व्यवसाय	प्रत्येक श्रेणी में सदस्यों की संख्या सं.														
		1952	1962	1972	1982	1992	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2018*
10.	औद्योगिक कर्मकार/ श्रमिक नेता	6	5	11	9	8(1)	5	8	8(-)	9(-)	6(-)	4(-)	6(1)	8(1)	5(1)	
11.	व्यापारी और उद्योगपति	28	22	34(1)	13	23(1)	30	21	20(-)	12(-)	16(-)	14(-)	20	22	23(-)	
12.	धार्मिक मिशनरी	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	भूतपूर्व शासक	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	प्रबंधक सलाहकार/ चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि	-	-	3	1	5	5	3	3(-)	2(-)	2(-)	2(-)	3	4	5	
15.	कलाकार	2(1)	1	2	2	1	12(3)	9(4)	7(3)	6(2)	5(1)	7(4)	6(4)	9(4)	7(3)	9(3)
16.	अन्य	1(1)	-	-	2	-	-	2	7(1)	8(1)	5(1)	7	7	9(1)	11(2)	8(2)
17.	विवरण उपलब्ध नहीं	3	18(3)	13(1)	7(2)	5(1)	3	5(1)	4(1)	4(1)	1(-)	18(3)	2	9(2)	28(2)	
18.	रिक्त स्थानों की संख्या	-	-	-	8	12	-	1	4	-	3	1	14	3	1	4
योग:		216(15)	236(18)	243(18)	244(24)	245(17)	245(25)	245(28)	245(25)	245(24)	245(25)	245(26)	245(29)	245(31)	245(27)	245(27)

\*जून 2018 की स्थिति के अनुसार

राज्य सभा के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित महिला  
सदस्य (1952-2018)

वर्ष	सदस्यों की संख्या
1952	15
1954	16
1956	20
1958	22
1960	24
1962	17
1964	21
1966	23
1968	22
1970	14
1972	18
1974	17
1976	24
1978	25
1980	29
1982	24
1984	24
1986	28

---

वर्ष	सदस्यों की संख्या
1988	25
1990	24
1992	17
1994	20
1996	19
1998	19
1999	20
2000	22
2002	25
2004	28
2006	25
2008	24
2010	27
2012	25
2014	29
2015	31
2016	27
2018*	28

---

\*16 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार



राज्य सभा की बैठकों की संख्या  
(1952 से 2018 तक)

वर्ष	सत्रों की संख्या	बैठकों की संख्या
1952	3	60
1953	4	100
1954	4	103
1955	3	111
1956	4	113
1957	4	78
1958	4	91
1959	4	87
1960	4	87
1961	5	75
1962	5	91
1963	5	100
1964	5	97
1965	4	96
1966	4	109
1967	4	91
1968	4	103
1969	4	102

वर्ष	सत्रों की संख्या	बैठकों की संख्या
1970	4	107
1971	4	89
1972	4	99
1973	4	105
1974	4	109
1975	3	58
1976	5	84
1977	5	70
1978	4	97
1979	4	54
1980	5	90
1981	4	89
1982	4	82
1983	4	77
1984	3	63
1985	5	89
1986	4	86
1987	4	89
1988	4	89
1989	4	71
1990	4	74
1991	5	74

वर्ष	सत्रों की संख्या	बैठकों की संख्या
1992	4	90
1993	3	79
1994	3	75
1995	3	77
1996	4	64
1997	3	68
1998	3	59
1999	3	48
2000	3	85
2001	3	81
2002	3	82
2003	3	74
2004	3	55
2005	3	85
2006	3	77
2007	3	65
2008	2	46
2009	4	63
2010	3	81
2011	3	73
2012	3	74
2013	3	63
2014	2	64
2015	4	69
2016	4	72
2017	3	61
2018*	1	30

\*245वें सत्र तक (06.04.2018)

## उपाबंध-I

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सभा के सदस्यों की कुल संख्या

---

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सदस्यों की संख्या
---------	-------------------------	-------------------

---

### I. राज्य

1.	आंध्र प्रदेश	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	7
4.	बिहार	16
5.	छत्तीसगढ़	5
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	11
8.	हरियाणा	5
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू और कश्मीर	4
11.	झारखंड	6
12.	कर्नाटक	12
13.	केरल	9
14.	मध्य प्रदेश	11
15.	महाराष्ट्र	19
16.	मणिपुर	1

---

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सदस्यों की संख्या
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	1
20.	ओडिशा	10
21.	पंजाब	7
22.	राजस्थान	10
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	18
25.	तेलंगाना	7
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तराखंड	3
28.	उत्तर प्रदेश	31
29.	पश्चिम बंगाल	16
<b>II. संघ राज्य क्षेत्र</b>		
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	3
31.	पुडुचेरी	1

## उपाबंध-II

राज्य सभा में दलों की स्थिति  
(16 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	दल का नाम	सदस्यों की संख्या
1.	भारतीय जनता पार्टी	69*
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	50
3.	समाजवादी पार्टी	13
4.	ए.आई.ए.डी.एम.के.	13
5.	अ.भा.तृणमूल कांग्रेस	13
6.	बीजू जनता दल	9
7.	जनता दल (युनाइटेड)	6
8.	तेलुगु देशम पार्टी	6
9.	तेलंगाना राष्ट्र समिति	6
10.	सी.पी.आई.(एम.)	5
11.	राष्ट्रीय जनता दल	5
12.	बहुजन समाज पार्टी	4
13.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	4
14.	डी.एम.के.	4
15.	शिव सेना	3
16.	शिरोमणि अकाली दल	3

\*चार नाम-निर्देशित सदस्यों सहित।

क्र.सं.	दल का नाम	सदस्यों की संख्या
17.	आम आदमी पार्टी	3
18.	जे. एंड के. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	2
19.	वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी	2
20.	सी.पी.आई.	2
21.	इंडियन नेशनल लोक दल	1
22.	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	1
23.	बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट	1
24.	केरल कांग्रेस (एम.)	1
25.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	1
26.	जनता दल (सेक्युलर)	1
27.	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	1
28.	नागालैंड पीपुल्स फ्रंट	1
29.	निर्दलीय	6
30.	नाम-निर्देशित	#8
31.	रिक्ति (बिहार-1)	1
कुल		245

#भारतीय जनता पार्टी के चार नाम-निर्देशित सदस्यों को छोड़कर।

